बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०–स्था०1/नि०3–10/2008 पार्ट/ 152 पटना, दिनांक: 26.6.12

कार्यालय आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के प्रक्षेत्राधीन कार्यरत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की औपबंधिक वरीयता को निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–46 (ज्ञापांक 367) दिनांक 09.03.09 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वरीयता सूची को अंतिम रूप दिया गया, यह वरीयता का निर्धारण गृह विशेष विभाग के पत्रांक 277 दिनांक 03.02.09 के आलोक में निर्धारित की गई है।

गृह विशेष विभाग के अद्यतन ज्ञापांक13780 दिनांक 19.09.11 द्वारा दायर याचिकाओं में पारित न्यायादेश के आलोक में गृह विशेष विभाग के पत्रांक 277 दिनांक 03. 02.09 के द्वारा परिचारित निर्णय के कार्यान्वयन कर अंतिम रूप से रोक लगा दी गई है तथा न्यायादेश के विरूद्ध दायर क्रमशः एल०पी०ए०संख्या 511/2009 एवं पुर्नविचार याचिका संख्या –112/2009 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने का निर्णय दिया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–46 ज्ञापांक –367 दिनांक 09.03.09 तथा पूर्व के निर्धारित वरीयता से संबंधित कार्यालय आदेश संख्या 181 ज्ञापांक 871 दिनांक 18.04.95 को निदेशानुसार संशोधित करते हुए वरीयता क्रमांक 301 से 418 अनुक्रमांक तक की औपबंधिक वरीयता का प्रसारण संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है जो एल०पी०ए०संख्या 511/2009 एवं पुर्नविचार याचिका संख्या –112/2009 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

संबंधित कार्मिक यदि प्रसारित वरीयता के संबंध में किसी प्रकार का सुझाव/आपत्ति /संशोधन की आवश्यकता महसूस करते हो तो वे संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति के साथ अपनी नियंत्रण पदाधिकारी को उचित माध्यम से आदेश निर्गत के तिथि से 03 (तीन) माह के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक :– 1235 पटना, दिनांक : 26.06.12

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ वरीय संयुक्त निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को (निदेशालय के वेव साईट पर अपलोड कर) प्रसारित करने एवं सभी संबंधित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।